केंद्र सरकार का बजट 2013-14 : एक मूल्यांकन*

यह लेख 28 फरवरी 2013 को संसद में प्रस्तुत किए गए केंद्र सरकार के 2013-14 के बजट पर आधारित है और उसकी मुख्य बातों को प्रस्तुत करते हुए 2013-14 में इसके राजकोषीय तथा समग्र समष्टि-आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का मूल्यांकन करता है. पिछले दो वर्षों में वैश्विक और घरेलू आर्थिक समृद्धि में गिरावट, बड़े राजकोषीय और चालू खाता घाटा के परिप्रेक्ष्य में 2013-14 का बजट दो प्रमुख उद्देश्यों की दृष्टि से तैयार किया गया, वे हैं- आर्थिक संवृद्धि में सहायक होना तथा राजकोषीय घाटे में कमी लाना ताकि निवेश चक्र को शुरू करने हेतु निजी क्षेत्र को ऋण के लिए जगह बनाई जा सके.

मुख्य बातें

- वर्ष 2012-13 (सं.अ.) में सकल राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.2 प्रतिशत पर सीमित रहा जो 5.1 प्रतिशत के बजट अनुमान से कुछ अधिक है. सकल राजकोषीय घाटे की सीमितता के साथ कर-आय, दूर-संचार, विनिवेश से प्राप्तियों में कमी से योजना व्यय तथा पूंजीगत व्यय में कमी हुई. लेकिन, बजट में अनुमानित 3.4 प्रतिशत की राजस्व में कमी, जीडीपी अनुपात को पाने में रही कुछ विफलता, वर्ष के दौरान गैर-योजना राजस्व व्यय, विशेष रूप से सब्सिडी तथा राजस्व प्राप्ति (कर और करेतर दोनों) में तीव्र वृद्धि के प्रभाव को प्रतिबिंबित करती है.
- राजकोषीय समेकन के लिए संशोधित योजना के अनुरूप सकल राजकोषीय घाटा-जीडीपी अनुपात 2013-14 (सं.अ.) में घट कर 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है. मध्यावधि में यह आशा की जाती है कि यह 2016-17 तक घट कर 3.0 प्रतिशत रह जाएगा.
- बजट में राजस्व-नीत राजकोषीय सुधार की परिकल्पना की गई है, जो मुख्यतः राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि तथा सब्सिडी जैसे गैर-योजना राजस्व व्यय में कमी लाकर किया जाएगा. बजट में यह अनुमान लगाया गया है कि 2013-14 में राजस्व घाटा-जीडीपी अनुपात 0.6 प्रतिशत अंक के रिकॉर्ड स्तर तक घट जाएगा. इसके परिणामस्वरूप, राजस्व घाटे से उत्पन्न सकल राजकोषीय घाटा अनुपात 2012-13 के 75 प्रतिशत से घट कर 2013-14 में लगभग 70 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है. इससे राजकोषीय बेहतरी की प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार प्रतिबिंबित होता है.
- बजट में, पूंजीगत और योजना व्यय को 2013-14 में क्रमशः 36.6 प्रतिशत तथा 29.4 प्रतिशत पर रखा गया है. पूंजी व्यय के पक्ष में व्यय के पुनः प्राथमिकता-निर्धारण से यह आशा की जाती है कि पूंजी परिव्यय-सकल राजकोषीय अनुपात 2012-13 के 28.1 प्रतिशत से बढ़ कर 2013-14 में 38.5 प्रतिशत हो जाएगा.

I. समष्टि-आर्थिक ढांचा

यह आशा की जाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आएगी

यह आशा की जाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आएगी क्योंकि 2013-14 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.1-6.7 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है जबकि यह 2012-13 में 5.0 प्रतिशत रही थी. 2013-14 में हैडलाइन मुद्रास्फीति में और नरमी आने की आशा की जाती है. औसत प्रत्यक्ष मुद्रास्फीति के साथ वर्ष 2013-14 के लिए वास्तविक और सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दरों के अनुमानों के आधार पर इसके 2012-13 के मुकाबले कम अर्थात् 6.5[1] प्रतिशत रहने की आशा है. यह अपेक्षा की जाती है कि राजकोषीय नीति के प्रभाव से सकल मांग के दबाव में कमी आएगी जिससे राजकोषीय समेकन की दिशा में प्रगति होगी. इससे आपूर्ति पक्ष के उपायों में तेजी लाने के लिए सीधे तथा आधारभूत सुविधाओं में अधिक निवेश के जरिये राजकोषीय प्रयास किए जा सकेंगे. निवेश, बचत और संवृद्धि में तेजी लाने के लिए बजट में जिन उपायों का प्रस्ताव किया गया है, उन्हें बॉक्स 1. में दर्शाया गया है.

* आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के राजकोषीय विश्लेषण प्रभाग में तैयार किया गया. केंद्र सरकार के बजट 2012-13 पर लेख भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन के मई 2012 अंक में प्रकाशित किया गया था.

[1] वास्तविक जीडीपी संवृद्धि 6.5 प्रतिशत तथा सांकेतिक जीडीपी संवृद्धि 13.4 प्रतिशत मानते हुए

बॉक्स 1 : केंद्र सरकार का बजट 2013-14 - नीतिगत उपाय

1. संवृद्धि, बचत और निवेश में बेहतरी के लिए बजटीय उपाय

संवृद्धि इंजन को फिर से शुरू करने में निवेश पर बल देने की जरूरत को समझते हुए केंद्र सरकार के बजट 2013-14 में विशेष रूप से, अधारभूत सुविधाओं में निवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया है. आधारभूत सुविधा क्षेत्र द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों के समाधान के लिए बहुमुखी दृष्टिकोण अपनाया गया है. जहां एक ओर सड़क, बंदरगाह, कोयला, पॉवर तथा जलमार्गों जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के उपाय किए गए हैं, वहीं दूसरी ओर कई क्षेत्र विशेष की बाधाओं के समाधान के लिए कदम उठाए गए हैं, इनमें पॉवर क्षेत्र की पुनर्संरचना में बाधाएं तथा तेल /कोयला /गैस क्षेत्रों की मूल्य-निर्धारण की समस्याएं शामिल हैं. वित्तीय तथा विनियमात्मक मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है.

बजट में, आधारभूत सुविधाओं में निवेश में तेजी लाने के उपायों को आगे जारी रखने का प्रस्ताव किया गया है, इनमें आधारभूत सुविधा ऋण निधियां, इंडिया इंफ्रॉस्ट्रक्चर कॉरपोरेशन - एशियन डेवलपमेंट बैंक की भागीदारी द्वारा ऐसी आधारभूत सुविधा कंपनियों को ऋण में वृद्धि जो बांड बाजार में पहुंच बना सकती हैं, कर-मुक्त बांड जारी करने की समग्र सीमा को बढ़ा कर 2013-14 में 500 बिलियन रुपये करना तथा सड़क क्षेत्र की समस्याओं जैसे वित्तीय कमी, बढ़ा हुआ निर्माण जोखिम तथा संविदा प्रबंधन के समाधान के लिए विनियामक प्राधिकारी की स्थापना, शामिल हैं. इसके अलावा, नए निवेशों को आकर्षित करने तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए उच्च मूल्य वाले नए निवेशों के लिए निवेश भत्ता शुरू किया जाएगा. संयत्र और मशीनों में 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच 1 बिलियन रुपये अथवा उससे अधिक का निवेश करने वाली कंपनी निवेश के 15 प्रतिशत का निवेश भत्ता पाने के लिए पात्र हो जाएगी. यह मूल्यह्रास की चालू दर के अतिरिक्त होगा. इससे लघु और मझौले उपक्रमों को काफी लाभ मिलने की आशा की जाती है.

स्वर्ण खरीदने के बजाय वित्तीय लिखतों में बचत करने के लिए घरेलू क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से बजट में जिन उपायों की घोषणा की गई है, वे हैं (i) राजीव गांधी ईक्विटी बचत योजना को उदार बनाना (ii) पहली अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 के दौरान किसी बैंक या आवासन वित्त निगम से प्रथम घर के लिए 25 लाख रुपये तक के ऋणों पर ब्याज-दर छूट सीमा में वृद्धि (iii) मुद्रास्फीति सूचकांक से जुड़े बांड अथवा मुद्रस्फीति सूचकांक से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण-पत्र की शुरूआत जिससे विशेषकर गरीबों और मध्य वर्ग की बचतों को मुद्रास्फीति के विरुद्ध संरक्षण मिलेगा.

2. बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से संबंधित पहल

इस बजट में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूंजी बढ़ाने के लिए 140 बिलियन रुपये का प्रावधान किया गया है. यह 2012-13 में 13 सरकारी बैंकों को उपलब्ध कराई गई 125 बिलियन रुपये की पूंजी के अतिरिक्त है. इससे बॉसल III विनियमों का अनुपालन किया जा सकेगा. महिलाओं के वित्तीय समावेशन तथा सशक्तीकरण से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए बजट में भारत का पहला महिला बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है. यह बैंक सरकारी क्षेत्र का बैंक होगा और इसकी प्रारंभिक पूंजी के लिए सरकार द्वारा 10 बिलियन रुपये का अंशदान किया जाएगा. विदेशी संस्थागत निवेशकों को कंपनी बांड तथा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए बजट में प्रदान की गई अनुमति से विदेशी संस्थागत निवेशकों के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा.

II. राजकोषीय समेकन की दिशा में प्रगति

वर्ष 2013-14 के मुख्य घाटे केलकर समिति द्वारा परिकल्पित किए गए अनुसार ही हैं.

वर्ष के मध्य में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारात्मक उपायों के अनुसरण में 2012-13 में राजकोषीय समावेशन की प्रक्रिया फिर से प्रारंभ हुई, जिसके 2013-14 तक जारी रहने की अपेक्षा की जाती है. इसके परिणामस्वरूप राजकोषीय स्थिति में होने वाले सुधार 2012-13 के मुकाबले 2013-14 के चयनित राजकोषीय निर्देशकों में परिलक्षित होने की आशा की जाती है। वर्ष 2014-15 से 2015-16 के लिए निर्धारित रोलिंग लक्ष्य इस गति के जारी रहने की ओर इशारा करते हैं, हालांकि केलकर समिति द्वारा परिकल्पित राजस्व और वित्तीय घाटों में कुछ विचलन दिखाई देगा (सारणी 1).

वर्ष 2012-13 के लिए केंद्र सरकार के संशोधित अनुमान यह दर्शाते हैं कि सकल राजकोषीय घाटा-जीडीपी अनुपात बजटीय स्तर से कुछ अधिक रहा. यह राजस्व में लगभग 408 बिलियन रुपये की तीव्र वृद्धि तथा विनिवेश से प्राप्त राशियों में 60 बिलियन रुपये की कमी का द्योतक है जिसकी भरपाई निवल पूंजीगत व्यय(पूंजी परिव्यय+ऋण और अग्रिम, वसूलियां

सारणी 1 : चयनित राजकोषीय निर्देशक

(जीडीपी का प्रतिशत)

	2012-13 (संशोधित अनुमान)	2013-14 (संशोधित अनुमान)	चल(रोलिंग) लक्ष्य 2014-15	
			2014-15	2015-16
1	2	3	4	5
राजस्व घाटा	3.9 (3.4)	3.3	2.7	2.0
प्रभावी राजस्व घाटा#	*2.7 (1.8)*	*1.8*	*0.9*	*0.0*
राजकोषीय घाटा	5.2 (5.1)	4.8	4.2	3.6
कुल कर आय	10.4	10.9	11.2	11.5
कुल बकाया देयताएं*	45.9	45.7	44.3	42.3
मेमो : केलकर समिति की सिफारिशें				
राजस्व घाटा	3.7	2.8	2.0	अनु.
राजकोषीय घाटा	5.2	4.6	3.9	अनु.
कुल बकाया देयताएं	46.1	44.9	42.9	अनु.

: कुल राजस्व व्यय से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान शामिल नहीं है

* : चालू विनिमय दरों पर बाह्य ऋण शामिल है .एनएसएसएफ का आंशिक भाग और कुल एमएसएस देयताएं शामिल नहीं हैं

अनु. : अनुपलब्ध

टिप्पणी: लघु कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े बजट अनुमानों से संबंधित हैं

घटा कर) में लगभग 390 बिलियन रुपये की कटौती से हो गई. बजट में निर्धारित 3.4 प्रतिशत का राजस्व घाटा-जीडीपी अनुपात प्राप्त करने में कुछ असफलता रही, यह गैर-योजना राजस्व व्यय, विशेषकर वर्ष के दौरान सब्सिडी में तीव्र वृद्धि तथा राजस्व प्राप्तियों (कर तथा करेतर दोनों) में कमी के प्रभाव को प्रतिबिंबित करता है.

वर्ष 2013-14 के दौरान जीएफडी-जीडीपी अनुपात में और गिरावट होने और इसके 4.8 प्रतिशत पर पहुंचने का अनुमान है (स्टेटमेंट1). सुधार की प्रत्याशा राजस्व घाटा-जीडीपी अनुपात में 0.6 प्रतिशत अंक की कमी के जरिये प्राप्त किया जाना अपेक्षित है. राजस्व घाटे में कमी राजस्व वृद्धि उपायों तथा विशेष रूप से सब्सिडी पर व्यय में नियंत्रण के माध्यम से लायी जाएगी. लेकिन, केंद्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा अपने ढ़ांचागत स्वरूप के कारण बना रहेगा (चार्ट 1).

राजस्व घाटे से उत्पन्न सकल राजकोषीय घाटा अनुपात 2012-13 के 75 प्रतिशत से घट कर 2013-14 में 70 प्रतिशत पर आने की अपेक्षा की जाती है, जो राजकोषीय करेक्शन प्रक्रिया में कुछ गुणात्मक सुधार का द्योतक है (चार्ट 2). संवृद्धि प्रक्रिया के वास्तविक परिणाम के लिए यह जरूरी होगा कि राजकोषीय करेक्शन के लिए प्रस्तावित नीति का पालन किया जाए.

वर्ष 2013-14 में राजस्व प्राप्तियों में सुधार की संभावना

वर्ष 2012-13 के लिए संशोधित अनुमानों में सकल कर राजस्व में बजटीय स्तर से लगभग 3.7 प्रतिशत की रिकॉर्ड कमी होने का अनुमान है. आय कर और सेवा कर की वसूली में कुछ वृद्धि हुई है, पर केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, कंपनी कर तथा संपत्ति कर की वसूली में कमी आई है. करेतर

चार्ट 1 : सकल राजकोषीय घाटे(जीएफडी) के ढांचागत और चक्रीय घटक

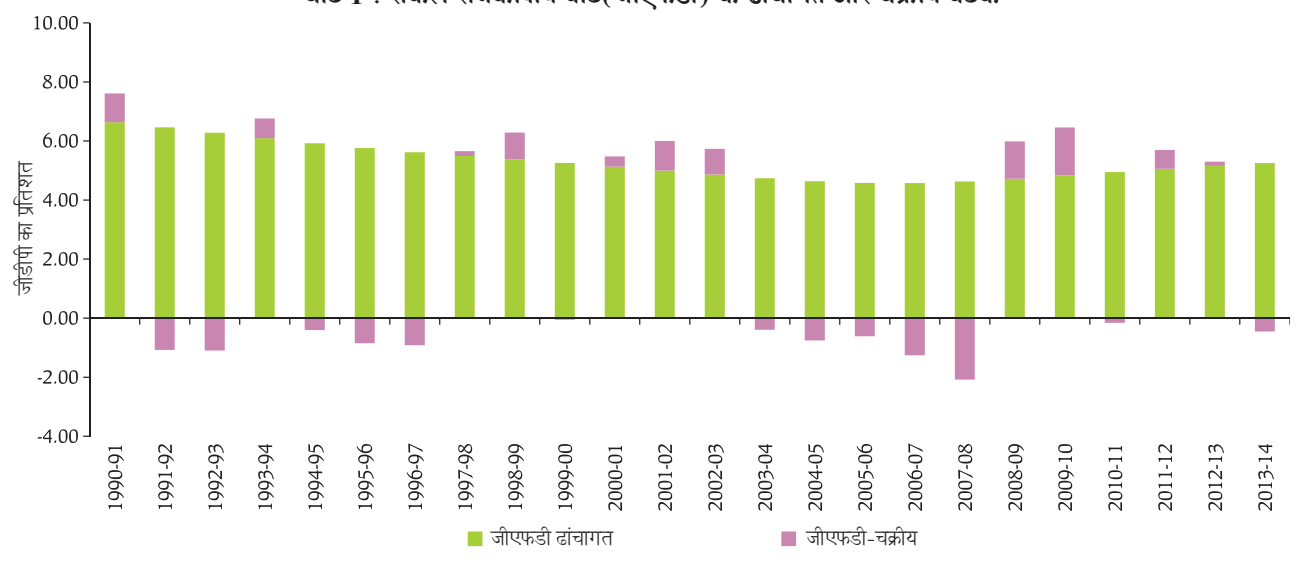

चार्ट 2 : सकल राजकोषीय घाटे के घटक

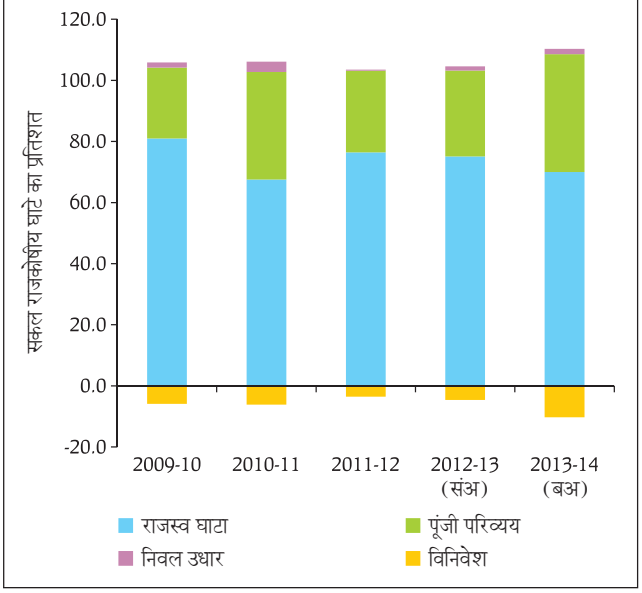

राजस्व में हुई कमी दूरसंचार की प्राप्तियों में लगभग 390 बिलियन रुपये की कमी को प्रतिबिंबित करती है.

कर राजस्व में 19.1 प्रतिशत की अपेक्षित वृद्धि के साथ सकल कर-जीडीपी अनुपात 0.5 प्रतिशत अंक के सुधार के साथ 2013-14 में 10.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है. इसी प्रकार, बजट में केंद्र के निवल कर राजस्व में 2012 -13 (संअ) जीडीपी के 7.4 प्रतिशत से बढ़ कर 7.8 प्रतिशत होना अनुमानित है (सारणी 2).

कर राजस्व में वृद्धि, कुछ उत्पादों पर अधिक सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क लगा कर तथा उच्च आय वाले लोगों पर सरचार्ज लगा कर की जाएगी. वर्ष 2013-14 में कंपनी कर और सीमा शुल्कों से राजस्व में काफी वृद्धि होने का अनुमान है (सारणी 3).

सारणी 2 : केंद्र सरकार का राजस्व खाता

(जीडीपी का प्रतिशत)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (संशोधित अनुमान)	2013-14 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	6	7
राजस्व प्राप्तियां	9.6	8.8	10.1	8.4	8.7	9.3
(i) कर राजस्व (निवल)	7.9	7.0	7.3	7.0	7.4	7.8
(ii) करेतर आय	1.7	1.8	2.8	1.4	1.3	1.5
राजस्व व्यय	14.1	14.1	13.4	12.8	12.6	12.6
राजस्व घाटा	4.5	5.2	3.2	4.4	3.9	3.3
मेमो मदें :						
प्रभावी राजस्व घाटा			2.1	2.9	2.7	1.8

सारणी 3 : कर राजस्व में उछाल*

	2004-05 से 2007-08 (औसत)	2008-09 से 2011-12 (औसत)	2012-13 (संअ)	2013-14 (बअ)
1	2	3	4	5
निगम कर	2.1	0.9	1.0	1.3
आय कर	1.7	0.8	1.8	1.5
सीमा शुल्क	1.4	0.6	0.9	1.0
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	0.5	0.2	1.6	1.1
सेवा कर	4.1	1.2	3.1	2.7
सकल कर राजस्व	1.6	0.6	1.4	1.4

संअ : संशोधित अनुमान बअ : बजट अनुमान

* सांकेतिक जीडीपी संवृद्धि से कर संवृद्धि के अनुपात के रूप में परिकलित

बजटीय करेतर राजस्व में तेज वृद्धि राज्य-स्वामित्व वाले उपक्रमों (मुख्यतः वित्तीय क्षेत्र में) से अधिक लाभांश मिलने तथा दूरसंचार स्पेक्ट्रम से होने वाली प्राप्तियों के कारण है.

ऋणेतर पूंजी प्राप्तियों में विनिवेश से प्राप्त होने वाली राशियों का बजट अनुमान 2013-14 के लिए 400 बिलियन रुपये (2012-13 में 240 बिलियन रुपये (संअ)) का है. 140 बिलियन रुपये की अतिरिक्त राशि गैर-सरकारी कंपनियों में अवशिष्ट हिस्से के विनिवेश से प्राप्त होने का अनुमान है. पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए, विनिवेश से प्राप्तियों के संबंध में बजट के आंकड़ों को पाना चुनौतीभरा होगा और इसकी सफलता प्राथमिक रूप से संवृद्धि के पुनः प्रवर्तन तथा संवेदनशील पूंजी बाजार स्थितियों पर निर्भर करेगी.

वर्ष 2013-14 में गैर-योजना व्यय में कम वृद्धि होगी

रक्षा, सब्सिडी, ब्याज भुगतान तथा अनुदान की जरूरतों को देखते हुए, गैर-योजना व्यय में 2012-13 के मुकाबले 10.8 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान किया गया है (संअ) (सारणी 4).बजट में यह अनुमान लगाया गया है कि 2013-14 में राजस्व और पूंजी व्यय दोनों में तीव्र वृद्धि के साथ योजना व्यय 2012-13 से 29.4 प्रतिशत (संअ) अधिक रहेगा. इसके परिणामस्वरूप 2013-14 (बअ) में समग्र व्यय 2012-13 से 16.4 प्रतिशत अधिक रहेगा.

गैर-योजना राजस्व व्यय वृद्धि को रोकना इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि राजकोषीय समेकन में वृद्धि निरंतर बनी रहे, तथा राजस्व वृद्धि पर बहुत अधिक निर्भर न रहे. बजट में यह अनुमान लगाया गया है कि गैर-योजना राजस्व व्यय की वृद्धि 8.0 प्रतिशत (2012-13 में 13.3 प्रतिशत) तक सीमित

सारणी : 4 व्यय की प्रमुख मदें

(संवृद्धि दर प्रतिशत में)

	2004-05 से 2007-08	2008-09 से 2011-12	2012-13 (संअ)	2013-14 (बअ)
	(औसत)			
1	2	3	4	5
राजस्व व्यय	**13.3**	**18.2**	**10.2**	**13.7**
पूंजीगत व्यय	**9.5**	**10.4**	**5.8**	**36.6**
पूंजीगत व्यय (रक्षा को छोड़ कर)	16.0	8.9	8.3	45.0
कुल व्यय	**11.2**	**16.4**	**9.7**	**16.4**
गैर-योजना व्यय	**10.2**	**15.2**	**12.3**	**10.8**
जिसमें से:				
गैर-योजना राजस्व व्यय	10.4	18.2	13.3	8.0
1. ब्याज भुगतान	8.5	12.4	15.9	17.1
2. राज्यों को अनुदान	32.8	9.7	12.4	33.0
3. सब्सिडी	12.9	35.1	18.2	-10.3
गैर-योजना पूंजीगत व्यय	19.9	4.2	2.5	42.9
योजना व्यय	**14.0**	**19.5**	**4.1**	**29.4**
योजना राजस्व व्यय	22.1	18.3	2.9	29.1
योजना पूंजीगत व्यय	-5.7	25.8	9.1	30.6

संअ : संशोधित अनुमान बअ: बजट अनुमान

रहेगी. बजट के अनुसार सब्सिडी पर व्यय 2012-13 में जीडीपी के 2.6 प्रतिशत के मुकाबले कम अर्थात् 2.0 प्रतिशत रहेगा (सारणी 5). वित्तीय करेक्शन प्रक्रिया की विश्वसनीयता काफी हद तक इन लक्ष्यों की प्राप्ति पर निर्भर करेगी.

जबकि सरकारी व्यय के अधिकांश घटकों के बजट अनुमान (2013-14) मौटे तौर पर केलकर समिति द्वारा परिकल्पित किए गए अनुसार हैं, लेकिन गैर-योजना व्यय के मामले में ऐसा नहीं है (सारणी 6).

केंद्र से राज्यों को अंतरित होने वाले संसाधनों में 2013-14 में वृद्धि होगी

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय असंतुलनों को न्यूनतम करने की दृष्टि से तेरहवें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि केंद्रीय करों का अधिक हिस्सा राज्यों को अंतरित किया जाए तथा सहायता अनुदान राशि में भी वृद्धि की जाए. हालांकि, 2012-13 के दौरान बजट में केंद्र ने राज्यों को अंतरण के सभी तीन रूपों में (करों में हिस्सा, सहायता अनुदान तथा राज्यों को ऋण) में वृद्धि की थी, लेकिन 2012-13 (संशोधित अनुमान) के दौरान केंद्र के राजस्व में कमी जीडीपी तथा निरपेक्ष दोनों ही रूपों में राज्यों के सकल तथा निवल अंतरण में कमी के रूप में प्रतिबिंबित हुई. वर्ष 2013-14 के दौरान जीडीपी के अनुपातों के रूप में सकल और निवल अंतरणों दोनों में बजट के अनुसार 0.3 प्रतिशत अंकों की वृद्धि होगी और ये क्रमशः 5.2 प्रतिशत तथा 5.1 प्रतिशत हो जाएंगे (सारणी 7).

विनिवेश प्राप्तियों को राष्ट्रीय निवेश निधि में जमा किया जाएगा

केंद्रीय सरकारी उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त राशियों का उपयोग केवल चयनित पूंजी निवेश में करने के निर्णय के अनुसरण में, विनिवेश से प्राप्त राशियों को वर्ष 2013-14 से राष्ट्रीय निवेश निधि में जमा किया जाएगा तथा अनुमोदित

सारणी 5 : कुल सब्सिडी

(राशि बिलियन रुपये में)

	2011-12		2012-13 (बअ)		2012-13 (संअ)		2013-14 (बअ)	
	राशि	जीडीपी से प्रतिशत	राशि	जीडीपी से प्रतिशत	राशि	जीडीपी से प्रतिशत	राशि	जीडीपी से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल सब्सिडी	**2,179.4**	**2.4**	**1,900.2**	**1.9**	**2,576.5**	**2.6**	**2,310.8**	**2.0**
i. खाद्य	728.2	0.8	750.0	0.7	850.0	0.8	900.0	0.8
ii. ऊर्वरक	700.1	0.8	609.7	0.6	659.7	0.7	659.7	0.6
iii. पेट्रोलियम	684.8	0.8	435.8	0.4	968.8	1.0	650.0	0.6
iv. ब्याज सब्सिडी	50.5	0.1	79.7	0.1	74.2	0.1	80.6	0.1
v. अन्य सब्सिडी	15.7	0.0	24.9	0.0	23.8	0.0	20.5	0.0

संअ: संशोधित अनुमान बअ: बजट अनुमान

सारणी 6 : वर्ष 2013-14 के प्रमुख निर्देशक : केलकर समिति की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में बजट अनुमान

(जीडीपी का प्रतिशत)

मदें	बजट अनुमान	केलकर समिति की सिफारिशें
1	2	3
गैर-योजना व्यय	**9.8**	**9.1**
राजस्व खाते में	8.7	8.2
जिसमें से : सब्सिडी	2.0	1.7
पूंजीगत खाते में	1.0	0.9
योजना व्यय	**4.9**	**4.9**
राजस्व खाते में	3.9	3.6
पूंजीगत खाते में	1.0	1.3
कुल व्यय	**14.6**	**13.9**
राजस्व खाते में	12.6	11.7
पूंजीगत खाते में	2.0	2.2

प्रयोजनों के लिए/निवेश के लिए ही उसमें से आहरण किया जाएगा. वर्ष 2013-14 के दौरान कुल विनिवेश प्राप्तियों में से सरकार ने सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए (140 बिलियन रुपये) तथा रेलवे के आधुनिकीकरण और अन्य पूंजीगत परियोजनाओं के लिए (260 बिलियन रुपये) रखने का प्रस्ताव किया है. पूंजीगत निवेश के लिए विनिवेश से प्राप्त राशियों के उपयोग से अधिक उत्पादक कार्यों के लिए संसाधन-प्रवाह में वृद्धि होगी.

सारणी 7 : केंद्र से राज्यों को सकल तथा निवल अंतरण

(राशि बिलियन रुपये में)

	2011-12	2012-13 (बअ)	2012-13 (संअ)	2013-14 (बअ)
1	2	3	4	5
1. केंद्र से शेयरयोग्य कर	2,554.1	3,019.2	2,915.5	3,469.9
2. राज्यों को सहायता अनुदान	1,753.5	2,108.8	1,839.1	2,314.7
3. केंद्र से ऋण	100.2	120.1	120.1	120.1
4. सकलअंतकरण (1 से 3)	4,407.8	5,248.1	4,874.6	5,904.7
5. केंद्र को ऋणों की चुकौती	106.4	94.2	92.8	94.1
6. निवल अंतरण (4-5)	4,301.5	5,153.9	4,781.9	5,810.7
सकल अंतरण / जीडीपी	*4.9*	*5.2*	*4.9*	*5.2*
निवल अंतरण / जीडीपी	*4.8*	*5.1*	*4.8*	*5.1*

संअ: संशोधित अनुमान बअ: बजट अनुमान

वर्ष 2013-14 में कर सुधार प्रक्रिया आगे बढ़ेगी

केंद्रीय बजट 2013-14 के कर प्रस्तावों का मौटे तौर पर लक्ष्य कर कानूनों में स्पष्टता, स्थिर कर प्रणाली, अच्छा कर प्रशासन, विवादों के निपटान के लिए उचित व्यवस्था तथा अधिक भरोसे के लिए स्वतंत्र न्याय व्यवस्था लागू करना है. यह भी प्रस्तावित है कि एक कर प्रशासन सुधार आयोग गठित किया जाए ताकि कर प्रणाली की क्षमता और सुदृढता बढ़ाने के लिए कर नीतियों और कर कानूनों की प्रयोज्यता की आवधिक समीक्षा की जा सके.

बजट में घोषणा की गई है कि प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) तथा वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में आगे आर कदम बढाए जाएंगे. वस्तु और सेवा कर के कार्यान्वयन की दिशा में पहले निर्णायक चरण के रूप में राज्यों को केंद्रीय बिक्री कर की बकाया राशियों की क्षतिपूर्ति की पहली किस्त की अदायगी के लिए 90 बिलियन रुपये का प्रावधान किया गया है. यह आशा की जाती है कि जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक तथा जीएसटी कानून इसी वर्ष के दौरान संसद के पटल पर रख दिये जाएंगे. डीटीसी के संबंध में वित्त पर स्थायी समिति की सिफारिशों की समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा की जा रही है. जीएसटी और डीटीसी के कार्यान्वयन से मध्यावधि में कर आधार तो बढ़ेगा ही, समग्र प्रणाली में दक्षता के साथ-साथ आर्थिक लाभ भी मिलेगा. विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर जीएएआर प्रावधान 1 अप्रैल 2016 से लागू होंगे.

सरकार के बजटीय बाजार उधारों से 2013-14 में चलनिधि प्रभावित होगी

वर्ष 2012-13 के दौरान, सकल राजकोषीय घाटे के लगभग 97 प्रतिशत का वित्तपोषण निवल बाजार उधारों के जरिये (दिनांकित प्रतिभूतियों तथा 364-दिवसीय खजाना बिलों के माध्यम से) किया गया (सारणी 8). जहां केंद्रीय सरकार के खजाना बिलों में निवेशित राज्य सरकारों के उच्चतर प्रारंभिक नकद शेष के साथ-साथ अतिरिक्त शेष उपलब्ध होने के कारण दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारों में बजटीय प्रावधानों से 120 बिलियन रुपये की कमी आयी, वहीं 364-दिवसीय खजाना बिलों के अंतर्गत उधारों में 260 बिलियन रुपये की वृद्धि हुई.

वर्ष 2013-14 के दौरान भी राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण अधिकांशतः बाजार उधारों से किया जाना जारी रहेगा. बजट में की गई घोषणा के अनुसार 2013-14 के लिए निवल बाजार

सारणी 8 : सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की अभिरचना

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	2012-13 (बअ)	2012-13 (संअ)	2013-14 (बअ)
1	2	3	4
सकल राजकोषीय घाटा	5,135.9	5,209.3	5,425.0
	(100.0)	(100.0)	(100.0)
निवल बाजार उधारों से			
वित्तपोषित*	4,930.0	5,074.8	4,840.0
	(96.0)	(97.4)	(89.2)
अन्य खजाना बिल	-50.0	56.5	198.4
	(-1.0)	(1.1)	(3.7)
लघु बचत (निवल)	12.0	86.3	58.0
	(0.2)	(1.7)	(1.1)
बाह्य सहायता	101.5	22.1	105.6
	(2.0)	(0.4)	(1.9)
राज्य भविष्य निधि	120.0	100.0	100.0
	(2.3)	(1.9)	(1.8)
एनएसएसएफ	49.4	-79.1	-0.1
	(1.0)	(-1.5)	(-0.0)
आरक्षित निधि	39.3	41.8	58.9
	(0.8)	(0.8)	(1.1)
जमाराशियां और अग्रिम	35.3	40.8	33.0
	(0.7)	(0.8)	(0.6)
नकद शेषों में हो रही कमी	0.0	-51.5	0.0
	(0.0)	(-1.0)	(0.0)
अन्य	-101.5	-82.5	31.1
	(-2.0)	(-1.6)	(0.6)

संअ: संशोधित अनुमान बअ: बजट अनुमान

*इसमें केवल दिनांकित प्रतिभूतियां और 364 दिवसीय खजाना बिल शामिल है.

टिप्पणी: लघु कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जीएफडी से प्रतिशत दर्शाते हैं

उधार 4840 बिलियन रुपये के हैं जो 5425 बिलियन रुपये के जीएफडी के लगभग 89 प्रतिशत का वित्तपोषण करता है. वर्ष 2013-14 में कुल 500 बिलियन रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की वापसी खरीद/ स्विच 2014-15 से 2018-19 के परिपक्वता के मोचन दबाव को आसान बनाने में सहायक होगा. इससे कारगर ऋण-प्रबंधन में सहायता मिलेगी.

यदि बाजार उधार बजटीय राशि के भीतर ही बने रहते हैं तो इनकी बड़ी मात्रा को देखते हुए रिजर्व बैंक को बाजार में काफी चलनिधि डालनी होगी. इससे कुछ अपेक्षित मौद्रिक स्पेस उपलब्ध हो सकता है तथा कुशल मौद्रिक-राजकोषीय समन्वयन स्थापित हो सकता है.

III. समग्र मूल्यांकन

उक्त दोनों घाटे की चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में, सरकार ने 2012-13 में वर्ष के मध्य में करेक्शन करके वित्तीय समेकन का रास्ता अपनाया. वित्तीय समेकन के लिए संशोधित योजना में अपनाए गए वित्तीय घाटे संबंधी लक्ष्यों ने नए अधिसूचित वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली के लिए आधार प्रदान किया. कर राजस्व में कमी, दूरसंचार और विनिवेशन से प्राप्त राशियों में कमी के परिप्रेक्ष्य में 2012-13 (सं.अ.) में जीएफडी को योजना व्यय में तथा पूंजीगत व्यय में कमी लाकर सीमित किया गया.

केंद्र सरकार के बजट में यथाघोषित 2013-14 की राजकोषीय नीति वैश्विक अनिश्चितता के वातावरण में भारत द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों को पूरा करने की दृष्टि से बनाई गई है. वर्ष 2013-14 (बअ) में जीएफडी-जीडीपी अनुपात में आई कमी विनिवेश, कर राजस्व और दूरसंचार प्राप्तियों से अधिक राशियां जुटाने तथा सब्सिडी पर कम व्यय करने पर आधारित है. चूंकि बजट में मुख्यतः राजस्व-नीत वित्तीय समेकन पर भरोसा किया गया है, अतः इसकी सफलता निवेश वातावरण और संवृद्धि के पुनः प्रवर्तन पर निर्भर करेगी. वर्ष 2013-14 में राजस्व घाटे में 0.6 प्रतिशत की कमी, विशेष रूप से कर और गैर-कर राजस्व संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने में सफलता को प्रतिबिंबित करती है. सरकार को प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भावी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सब्सिडी को घटाने और औचित्यपूर्ण बनाने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखने होंगे.

पूंजीगत व्यय के पक्ष में व्यय के पुनः प्राथमिकता निर्धारण से पूंजीगत परिव्यय-जीएफडी अनुपात 2012-13 के 28.1 प्रतिशत से बढ़ कर 2013-14 में 38.5 प्रतिशत हो जाएगा. यह ध्यान देने की बात है कि राजकोषीय समेकन के चरण में पूंजीगत परिव्यय-जीएफडी अनुपात औसतन 51.4 प्रतिशत के उच्च स्तर पर था.

समग्र रूप से, बजट में घोषित राजकोषीय समेकन के उपाय सरकारी वित्त के सतत पुनःसंतुलन के लिए आधार प्रदान करेंगे. राजकोषीय विवेक अर्थव्यवस्था में विश्वास भरेगा तथा घरेलू और विदेशी निवेशों को समर्थन प्रदान करेगा. प्रभावी राजस्व घाटे को वर्ष 2015 -16 तक पूरी तरह समाप्त करने की परिकल्पना से निवेशों तथा पूंजीगत व्यय (पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान सहित) के वित्तपोषण के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे तथा सरकारी उधारों का उपयोग प्राथमिक रूप से पूंजी निर्माण तथा संवृद्धि प्रक्रिया के लिए सुनिश्चित हो सकेगा.

विवरण 1 : बजट एक नजर में

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	2011-12 (खाते)	2012-13 (बजट अनुमान)	2012-13 (संशोधित अनुमान)	2013-14 (बजट अनुमान)	प्रतिशत में अंतर		
					कॉलम 3 से कॉलम 4	कॉलम 2 से कॉलम 4	कॉलम 4 से कॉलम 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	**7,514.4**	**9,356.9**	**8,718.3**	**10,563.3**	**-6.8**	**16.0**	**21.2**
i) कर राजस्व (केंद्र को निवल)	6,297.7	7,710.7	7,421.2	8,840.8	-3.8	17.8	19.1
ii) गैर-कर राजस्व	1,216.7	1,646.1	1,297.1	1,722.5	-21.2	6.6	32.8
जिसमें से:							
ब्याज से प्राप्तियां	202.5	192.3	166.0	177.6	-13.7	-18.1	7.0
2. पूंजीगत प्राप्तियां	**5,529.3**	**5,552.4**	**5,590.0**	**6,089.7**	**0.7**	**1.1**	**8.9**
जिनमें से:							
i) बाजार उधार	4,841.1	4,930.0	5,074.8	4,840.0	2.9	4.8	-4.6
ii) उधार वसूली	188.5	116.5	140.7	106.5	20.8	-25.3	-24.3
iii) पीएसयू में ईक्विटी का विनिवेश	180.9	300.0	240.0	558.1	-20.0	32.7	132.6
3. कुल प्राप्तियां (1+2)	**13,043.7**	**14,909.3**	**14,308.3**	**16,653.0**	**-4.0**	**9.7**	**16.4**
4. राजस्व व्यय (i + ii)	**11,457.9**	**12,861.1**	**12,630.7**	**14,361.7**	**-1.8**	**10.2**	**13.7**
i) गैर-योजना	8,120.5	8,656.0	9,197.0	9,929.1	6.3	13.3	8.0
ii) योजना	3,337.4	4,205.1	3,433.7	4,432.6	-18.3	2.9	29.1
5. पूंजीगत व्यय (i + ii)	**1,585.8**	**2,048.2**	**1,677.5**	**2,291.3**	**-18.1**	**5.8**	**36.6**
i) गैर-योजना	799.4	1,043.0	819.4	1,170.7	-21.4	2.5	42.9
ii) योजना	786.4	1,005.1	858.1	1,120.6	-14.6	9.1	30.6
6. कुल गैर-योजना व्यय (4i + 5i)	**8,919.9**	**9,699.0**	**10,016.4**	**11,099.8**	**3.3**	**12.3**	**10.8**
जिसमें से:							
i) ब्याज चुकौती	2,731.5	3,197.6	3,166.7	3,706.8	-1.0	15.9	17.1
ii) रक्षा	1,709.1	1,934.1	1,785.0	2,036.7	-7.7	4.4	14.1
iii) सब्सिडी	2,179.4	1,900.2	2,576.5	2,310.8	35.6	18.2	-10.3
7. कुल योजना व्यय (4ii + 5ii)	**4,123.8**	**5,210.3**	**4,291.9**	**5,553.2**	**-17.6**	**4.1**	**29.4**
8. कुल व्यय (6+7=4+5)	**13,043.7**	**14,909.3**	**14,308.3**	**16,653.0**	**-4.0**	**9.7**	**16.4**
9. राजस्व घाटा (4-1)	**3,943.5**	**3,504.2**	**3,912.5**	**3,798.4**	**11.6**	**-0.8**	**-2.9**
	(4.4)	**(3.4)**	**(3.9)**	**(3.3)**			
10. प्रभावी राजस्व घाटा	**2,617.7**	**1,857.5**	**2,669.7**	**2,051.8**	**43.7**	**2.0**	**-23.1**
	(2.9)	**(1.8)**	**(2.7)**	**(1.8)**			
11. सकल राजकोषीय घाटा (8-(1+2ii+2iii))	**5,159.9**	**5,135.9**	**5,209.3**	**5,425.0**	**1.4**	**1.0**	**4.1**
	(5.7)	**(5.1)**	**(5.2)**	**(4.8)**			
12. सकल प्राथमिक घाटा (11-6i)	**2,428.4**	**1,938.3**	**2,042.5**	**1,718.1**	**5.4**	**-15.9**	**-15.9**
	(2.7)	**(1.9)**	**(2.0)**	**(1.5)**			

टिप्पणी : 1) पूंजी प्राप्तियां चुकौतियों को घटा कर

2) बाजार उधारों में दिनांकित प्रतिभूतियां और 364 दिवसीय खजाना बिल शामिल हैं

स्रोत : भारत सरकार के बजट दस्तावेज, 2013-14